कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 918 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 800 दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के साथ संलग्न श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, भयामपुर, पो0– सत्यनारायण, ऋशिकेष, जनपद देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 918 /XXV–12(1–5)/2008, तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, भयामपुर, पो0– सत्यनारायण, ऋशिकेष, जनपद देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : 800 / रा.नि.आ.-1/1968/2015

दिनांक 08-10-2015

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्ततराखण्ड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

महोदय,

श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0–सत्यनारायण, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून का अनुरोध पत्र दिनांक 30.09.2015 जो वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड से अंतरित हो कर आयोग में दिनांक 07.10.2015 को प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई 09 बिन्दुओं की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित हो, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र मूलरूप में।

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/1968/2015 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)
प्रतिलिपि– श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0–सत्यनारायण, ऋषिकेश, जनदपद–देहरादून। मो. 9756417310

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

1968

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

787
7-10-15

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(सूचना का अधिकार)

संख्या:356 /वि0स0/85/सू0 का अधि0/2015

देहरादून, दिनांक :05 अक्टूबर, 2015

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड ।

लोक सूचना अधिकारी ,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

लोक सूचना अधिकारी
मुख्यमंत्री कार्यालय,
उत्तराखण्ड शासन।

श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0–सत्यनारायण ऋषिकेश का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2015 जो इस सचिवालय में दिनांक 03.10.2015 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी बिन्दु संख्या 01, 02, 03 की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरखण्ड बिन्दु संख्या 06 एवं 09 की ग्राम्य विकास विभाग तथा बिन्दु संख्या 07 की मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

5/10/15

(मुकेश सिंघल)

वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी।

संख्याः /वि0स0/85/सू0 का अधि0/2015 तद्दिनांक।,

प्रतिलिपिः

1. श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो0–सत्यनारायण ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या 01, 02, 03, 06, 07, एवं 09 की वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। सूचना लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, ग्राम्य विकास विभाग, एवं मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन से सम्बन्धित है। तद्नुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है। शेष सूचना के संकलन हेतु आपका अनुरोध पत्र विधान सभा के संबंधित अनुभागों को प्रषित कर दिया गया है। जहां से सूचना प्राप्त होने पर आपको नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जोयगी।

उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(मुकेश सिंघल)

वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी।

7-10-15

श्री जोशी

07/10/15

सेवामें,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी महोदय,

कार्यालय

उत्तराखण्ड विधान सभा

देहरादून।

विषय– **<u>सूचना चाहने हेतु।–</u>**

महोदय

निवेदन है कि घनसाली विधान सभा क्षेत्र के विधायक भीमलाल आर्य के विकास कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करें।–

1. यह कि उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 में हुये विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी भीमलाल आर्य द्वारा अपनी चल–अचल सम्पत्ति के बावत दिया गया चुनाव आयोग को दिया गया शपथ पत्र एवं नामांकन पत्र व संलग्न दस्तावेज सहित की प्रमाणित छायाप्रति दें।
2. यह कि उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2012 में हुये विधान सभा चुनाव में प्रत्याशी भीमलाल आर्य द्वारा चुनाव आयोग को चुनाव में हुये कुल खर्चा का दिया गया आय–व्यय का ब्यौरा व बिल वाउचर सहित की प्रमाणित छायाप्रति दें।
3. यह कि भीमलाल आर्य के विरूद्व चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रमाणित छायाप्रति दें।
4. यह कि भीमलाल आर्य द्वारा सरकार को दिये गये अपनी और अपने परिवारजन की चल–अचल सम्पत्ति के ब्यौरा के दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति दें।
5. यह कि जनपद देहरादून में भीमलाल आर्य के नाम एवं उनके परिवारजन के नाम कय की गई चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति दें।
6. यह कि आज तक विधायक निधि से विधायक भीमलाल आर्य ने कौन–कौन से और कहां–कहां विकास के कार्य किये व किस–किस को और कितनी–कितनी धनराशि को विधायक निधि से विकास कार्य के लिए दी की प्रमाणित छायाप्रति दें।
7. यह कि मुख्यमंत्री राहत कोष से विधायक भीमलाल आर्य की संस्तुति पर किस–किस और कितनी–कितनी धनराशि लोगों को आर्थिक सहायता दी गई की प्रमाणित छायाप्रति दें।
8. यह कि विधायक भीमलाल आर्य को आज तक भुगतान मानदेय एवं उनको मिले भत्ता से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति दें।
9. यह कि विधायक भीमलाल आर्य ने विधायक निधि से किस–किस विधालय को और कितनी–कितनी धनराशि, फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर इत्यादि कय करने के लिए दी उक्त सामाग्री कय के बिल एवं वाउचर व कय के बावत के निविदा और कोटेशन की प्रमाणित छायाप्रति दें।

Kanswal. 30/09/2015

दिनांक–30–09–2015

अनुरोधकर्त्ता

मदन मोहन कंसवाल

एडवोकेट

खैरी खुर्द, श्यामपुर
पो. सत्यनारायण
ऋषिकेश
Mobile. 9756417310

संलग्न– आवेदन शुल्क पोस्टल ऑर्डर संख्या– 33F 723295